

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प. 4(33)नविवि/II/2022-00664-2429078

जयपुर, दिनांक: हस्ताक्षर तिथि

—:आदेश:—

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6220/2023 भंवर्ग खां बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2026 की पालना में राजस्थान अभियान्त्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प. 1(1)नविआ/II/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.07.2026 की अभिशंषानुसार निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-21 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	जन्म तिथि	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	श्री संजय पूनियां	अनारक्षित	14.07.1967	2024-25	01.04.2024
2.	श्री महेश चन्द्र गोयल	अनारक्षित	05.07.1968	2024-25	01.07.2024
3.	श्री राकेश शरण गर्ग	अनारक्षित	17.07.1966	2025-26	17.09.2025

उपरोक्त अभियन्ताओं की पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अभियन्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(डॉ. राष्ट्रदीप यादव)

शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- आयुक्त/सचिव, समस्त न्यास/प्राधिकरण।
- प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- संबंधित अधिकारीगणों को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से।
- रक्षित/निजी पत्रावली।

शासन उप सचिव-तृतीय

